	सूचना भेजा गया है और ऐसी सूचना भेजने की तिथि से तीस दिनों के भीतर भी इसका भुगतान नहीं किया गया है, तो द्वीप परिषद विहित अनुसार इसकी वसूली के लिए संबंधित सहायक आयुक्त को आवेदन करेगा ।	
	80. प्रत्येक द्वीप परिषद विहित अनुसार अपने प्राप्तियों एवं खर्चों के लेखा का रख–रखाव करेगा ।	लेखा
	81. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद विहित अनुसार ऐसे समय पर और ऐसे तरीके से अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट का अनुमानित प्राप्तियाँ तथा संवितरण विवरण तैयार करेगा और इस बजट को उपायुक्त के पास जमा करेगा । (2) उपायुक्त बजट को 30 दिनों के भीतर या तो अनुमोदित करेगा या फिर इसे संशोधन हेतु द्वीप परिषद को वापस कर देगा, जैसा वह निर्देश देता है । (3) यदि उप–धारा (2) के अंतर्गत कोई संशोधन किया जाता है तो बजट को 15 दिनों के भीतर उपायुक्त के पास दुबारा जमा किया जाएगा । (4) किसी भी प्रकार का खर्च नहीं किया जाएगा जब तक कि उपायुक्त द्वारा बजट को अनुमोदित अथवा अनुमोदित किया हुआ समझा जाएगा । बशर्ते कि यदि उपायुक्त बजट जमा करने अथवा दुबारा जमा करने से 30 दिनों के भीतर अपने अनुमोदन की सूचना नहीं दे पाता है तो बजट को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा । (5) द्वीप परिषद बजट में संशोधन करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक अनुपूरक अनुमान तैयार करेगा और इसे विहित अनुसार इस अवधि के भीतर अनुमोदन के लिए उपायुक्त के पास जमा करेगा ।	द्वीप परिषद का बजट
	82. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद के लेखा का विहित अनुसार उसी रीति में वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी । (2) उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि वार्षिक लेखा परीक्षा विहित रीति अनुसार की गई है । (3) उपायुक्त रिपोर्ट पर विचार करने तथा उसकी आगे जाँच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे रिपोर्ट से किसी मद को हटाने का आदेश दे सकते है जो विधि के प्रतिकूल प्रतीत होता है तथा अवैध भुगतान करने अथवा प्राधिकृत करने के उस व्यक्ति पर अधिभारित	लेखा परीक्षा